

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**

ज्ञाप सं०-4/स्था०-म०नि० (मु०)-02-12/2006  
सेवा में,

/पटना, दिनांक

विषय :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।  
श्री चन्द्रशेखर महतो, परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ग्रुप बीमा योजना मद में की गई कटौती एवं सूद सहित कुल रूपये 1,55,683/- (एक लाख पचपन हजार छः सौ तिरासी) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार श्री चन्द्रशेखर महतो, परिचारी (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.03.2019) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3420 (वि०) (2) दिनांक-12.05.2006 के आलोक में ग्रुप बीमा योजना 8011 में की गयी कटौती की राशि सूद सहित कुल रूपये 1,55,683/- (एक लाख पचपन हजार छः सौ तिरासी) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री चन्द्रशेखर महतो, परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ग्रुप बीमा योजना मद में किये गये अंशदान की विवरणी निम्नवत है:-

1. सेवानिवृत्ति की तिथि:-	31.03.2019
2. पुरानी योजना के अन्तर्गत मूलधन राशि-	7,150/-
3. नयी योजना अन्तर्गत मूलधन राशि-	5,292/-
4. पुरानी योजना अन्तर्गत सूद की राशि-	1,34,421/-
5. नयी योजना अन्तर्गत सूद की राशि-	8,820/-
कुल	1,55,683/-

(रूपये एक लाख पचपन हजार छः सौ तिरासी)

3. कुल स्वीकृत राशि 1,55,683/- (एक लाख पचपन हजार छः सौ तिरासी) मात्र के निकासी अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।
4. यह व्यय लेखा (शीर्ष) 8011 बीमा और पेंशन निधियों-राज्य सरकार बीमा-निधि (व्यय) के अन्तर्गत विकलित होगा। इसकी सूचना वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
5. इसका विपत्र कोड-L8011001050001 है।
6. उक्त राशि का भुगतान श्री चन्द्रशेखर महतो, परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में किया जायेगा।
7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)  
सरकार के अवर सचिव (मु०)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O